न्यायालय तालुका विधिक सेवा(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या–02)केकड़ी

राष्ट्रीय लोक अदालत–2022 मुकाम भिनाय

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./21/2019

1. रामकुंवारी पत्नी श्री बालूराम जाति जाट निवासी बुबकिया तहसील भिनाय अजमेर
2. छोटी पत्नी सांवरा जाति जाट निवासी पीलोदा तहसील भिनाय अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय पीलोदा तहसील भिनाय अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय अजमेर

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. वकील अप्रार्थी– धर्मवीर बामणिया
2. पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक– 13.08.2022

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा पीलोदा पटवार क्षेत्र रघुनाथगढ़ भू0अ0नि0 क्षेत्र धांतोल के खाता सं0 157 में दर्ज ख0न. 1101 रकबा 0.42 और ख.न. 1102 रकबा 0.32 कुल किता 02 कुल रकबा 0.74 हैं0 जो कि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं0 01 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 02 जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 01 द्वारा उपस्थित होकर पत्थरगढ़ी किये जाने बाबत् अनापत्ति की। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र में जवाब प्रस्तुत कर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की खातेदारी आराजी होना स्वीकार करते हुए पत्थरगढी के आदेश जारी किया जाना उचित होना बताया। वकील प्रार्थी और पैरोकार सरकार को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया है।

प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत–2022 के तहत पेश हुआ। वकील प्रार्थी और पैरोकार सरकार को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया है। उपस्थित बैंच द्वारा पत्रावली एवं राजस्व जमाबन्दी ग्राम पीलोदा का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। ऐसी स्थिति में बैंच सदस्यों द्वा[illegible] वास्ते पत्थरगढी का [illegible] पत्र अन्तर्गत धारा 128 न्यायोचित होना पाया गया। अत[illegible] प्रार्थीगण [illegible] भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार [illegible] मौजा पीलोदा पटवार क्षेत्र रघुनाथगढ़ भू0अ0नि0 क्षेत्र धांतोल के खाता सं0 157 में दर्ज ख0न[illegible] रकबा 0.42 और ख.न. 1102 रकबा 0.32 कुल कि[illegible] 02 कुल रकबा 0.74[illegible]

अध्यक्ष
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी, जिला-अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhat Tripathi
Date: 2022.10.05 15:31:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhat Tripathi
Date: 2022.10.05 15:51:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner